

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(6)/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरोही की अनुशंसा के आधार पर श्रीमती गीता सिंह, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, वाटेरा-पिण्डवाड़ा, सिरोही को दिनांक-18.11.2021 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2020/182 दिनांक- 13/12/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) पाली संभाग, पाली
- 2-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरोही
- 3-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय राजस्थान के विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 4-प्रधानाचार्य, राउमावि, वाटेरा-पिण्डवाड़ा, सिरोही को श्रीमती गीता सिंह, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
- 5-श्रीमती गीता सिंह, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, वाटेरा-पिण्डवाड़ा, सिरोही
- 6-रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर